भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1335

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को दिया गया)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की प्रगति और रूपरेखा

1335. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:

श्रीमती रंजीत रंजन:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर विचार-विमर्श की वर्तमान स्थिति और इसके लागू होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि प्रस्तावित कानून बड़ी डिजिटल कंपनियों की प्रमुख स्थिति को विनियमित करने के साथ नवाचार को बढ़ावा देते हुए प्रभावी रूप से संतुलन बनाए रखे;

(ग) क्या सरकार ने स्टार्ट-अप सहित छोटी कंपनियों पर प्रत्याशित ढांचे के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और किसी भी अनपेक्षित परिणाम को कम करने के लिए क्या कदम उठाएं हैं; और

(घ) डिजिटल पारितंत्र में सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों की चिंताओं को दूर करने के लिए किन सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): "बिग-टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार" विषय पर अपनी तिरपनवीं रिपोर्ट में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर एक समिति का गठन किया। सीडीसीएल ने फरवरी 2024 में डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीसीबी के मसौदे पर हितधारकों के परामर्श मार्च-मई, 2024 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें डीसीबी के मसौदे साथ सीडीसीएल की रिपोर्ट को ई-परामर्श मोड के अंतर्गत एमसीए की वेबसाइट पर रखा गया था।

जारी....2/-

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 18.06.2024 से 20.06.2024 के बीच हितधारक चर्चा का आयोजन किया।

(ग) और (घ): सीडीसीएल ने प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श किया और डिजिटल सेवाओं के विनियमन के लिए घरेलू कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय नियामक प्रथाओं दोनों की जांच की। इसके बाद, डीसीबी के मसौदे के निर्माण के दौरान, छोटे व्यवसायों, थिंक टैंक के व्यापार और उद्योग संघों के कई प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया गया और बड़े डिजिटल समूहों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों/इनपुटों/टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

*****